सुन्दरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
मंदसौर, मध्यप्रदेश

Email:deanspgmcmandsaur@gmail.com Website: www.spgmcmandsaur.org

क्रमांक........../लेखा/एसपीजीएमसी/2025 मंदसौर, दिनांक..............

प्रति,

आयुक्त ,

जनसम्पर्क संचालनालय

भोपाल (म.प्र)

विषयः- अधिष्ठाता के वाहन किराये पर लेने हेतु जारी पुनर्निविदा का विज्ञापन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर द्वारा अधिष्ठाता के वाहन किराये पर लिए जाने हेतु ई-निविदा विज्ञप्ति क्रं 03/SPGMC,Mandsaur/DME/2025 जारी की गई है जिसके विज्ञापन की जानकारी जनसाधरण को देने हेतु विज्ञापन प्रसारित करने की कृपा करे ।

संलग्न :- विज्ञापन ।

अधिष्ठाता
सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा
महाविद्यालय, मंदसौर

क्रमांक...113../ लेखा /एसपीजीएमसी/2025 मंदसौर, दिनांक..11/07/25

प्रतिलिपी –

(1) आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
(2) संचालक,लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
(3) जनसम्पर्क अधिकारी सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर ।

अधिष्ठाता
सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा
महाविद्यालय, मंदसौर

सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर(म.प्र.)

Website: www.spgmcmandsaur.org Email– deanspgmcmandsaur@gmail.com

ई–निविदा विज्ञप्ति क्रं. 03/ SPGMC,Mandsaur/DME/2025

// पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना //

अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर हेतु 01 नग वाहन किराये पर लिए जाने हेतु खुली पुनर्निविदा आमंत्रित की जाती है जिसको रू. 500 + GST/–का शुल्क ऑनलाईन जमा कर क्रय किया जा सकेगा। पुनर्निविदा प्रपत्र www.mptenders.gov.in/nicgep/app से ऑनलाईन देखने/पढ़ने के बाद दिनांक 11.07.2025 प्रातः 11:00 बजे से क्रय किया जा सकेगा। निविदाकर्ता को अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) रू.10,000/– (रूपये दस हजार रूपये मात्र) ऑनलाईन जमा करनी होगी। सफल निविदाकार की धरोहर राशि निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) की राशि जमा करने तक सुरक्षित रहेगी। असफल रहे निविदाकर्ताओं को अथवा निविदा प्रक्रिया के असफल होने पर निविदा धरोहर राशि नियमानुसार संबंधितों को ऑनलाईन वापिस की जावेगी। निविदाकर्ता फर्म/एजेंसी को किराये पर (IDV) 12.00 लाख की Ex-Showroom Price का **सिडान /एस.यू.वी मॉडल** वाहन अथवा 18 लाख की Ex-Showroom Price तक का इलेक्ट्रिक वाहन किराये पर प्रदान करना होगा। वाहन मुख्यालय पर उपयोग हेतु अधिकतम 800 कि.मी. प्रतिमाह की सीमा पर तथा प्रवास या विशेष परिस्थिति में 800 कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर की दर पर समस्त चार्जेज (पेट्रोल/डीजल/वाहन चार्जिंग/वाहन चालक/मरम्मत/फास्टैग इत्यादि) सहित निर्धारित प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। उपलब्ध कराये जाने वाला वाहन वाणिज्यिक परिवाहन यान (Commercial Vehicle) के रूप में दर्ज होना चाहिए तथा प्रदायकर्ता एजेंसी का मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.) कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है।

अधिष्ठाता
सुंदरलाल पटवा शासकीय
चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर